



Neutral Citation No. -

2026:AHC:15153

आदेश सुरक्षित: 3.12.2025

डिलीवरी की तारीख: 21.1.2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - बी संख्या - 10547 वर्ष 1992

चुलहाई

याचिकाकर्ता

बनाम

डीडीसी

.....उत्तरदाता

याचिकाकर्ता के वकील

: अनूप कुमार, डीके सिंह, दिनेश
पाठक, ग्दमिसरा, राकेश पाठक, प्रतिवादी के

वकील

: अनुसूचित जाति

न्यायालय संख्या - 35

माननीय चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति।

1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अनूप कुमार, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राजेश कुमार तिवारी और प्रतिवादी-गांव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज कुमार गुप्ता की दलीलें सुनीं।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता चक धारक संख्या 148 है। प्लॉट संख्या 365, 240 और 1454 याचिकाकर्ता की मूल जोत हैं। सहायक समेकन अधिकारी ने याचिकाकर्ता को दो चक प्रस्तावित किए, पहला चक प्लॉट संख्या 240M और 242M पर तथा दूसरा चक प्लॉट संख्या 357M, 365M और 367M पर। याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश समेकन अधिनियम, 1953 (जिसे आगे "यूपीसीएच अधिनियम" कहा गया है) की

धारा 20 के तहत चक आपत्ति दायर की, जिसमें दावा किया गया कि प्लॉट संख्या 365 का पूरा क्षेत्र याचिकाकर्ता के चक में आवंटित किया जाना चाहिए, जिसमें से बचत के रूप में आरक्षित क्षेत्र को अलग कर दिया जाए। समेकन अधिकारी ने आपत्ति का निर्णय किया, लेकिन याचिकाकर्ता को सड़क से सटे प्लॉट संख्या 265 का पूरा क्षेत्र आवंटित नहीं किया गया। इसके अनुसार, याचिकाकर्ता ने समेकन बंदोबस्त अधिकारी के समक्ष चक अपील दायर की, जिन्होंने 30.06.1987 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता की अपील स्वीकार कर ली, लेकिन याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्हें दावा किया गया चक आवंटित नहीं किया गया। इसके अनुसार, याचिकाकर्ता ने उप-निदेशक समेकन के समक्ष चक पुनरीक्षण दायर किया, जिन्होंने 13.12.1991 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता के पुनरीक्षण को खारिज कर दिया। अतः निम्नलिखित राहतों के लिए यह रिट याचिका दायर की गई है:

मैं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 13-12-1991 को पारित निर्णय और आदेश को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी प्रकृति का रिट आदेश या निर्देश जारी करता/करती हूँ।

ii. मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, माननीय न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी भी अन्य रिट आदेश या निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

iii. याचिका को खर्च सहित स्वीकार किया जाए।"

3. 26.3.1992 को, इस न्यायालय ने तत्काल रिट याचिका को दो सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।

4. इस रिट याचिका को न तो 1992 से स्वीकार किया गया है और न ही कोई अंतरिम आदेश जारी किया गया है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्लॉट संख्या 365 याचिकाकर्ता की मूल जोत है, जो सड़क के किनारे स्थित प्लॉट है। उन्होंने आगे कहा कि प्लॉट संख्या 365 का पूरा क्षेत्र याचिकाकर्ता को आवंटित नहीं किया गया है, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता ने चक आपत्ति, चक अपील और चक पुनरीक्षण याचिका दायर की, लेकिन चक आपत्ति, चक अपील और चक पुनरीक्षण याचिकाओं पर उचित ढंग से निर्णय नहीं लिया गया है। अतः, चक प्राधिकरण द्वारा पारित विवादित आदेश को रद्द किया जाना चाहिए और याचिकाकर्ता को प्लॉट संख्या 365 का पूरा क्षेत्र आवंटित किया जाना चाहिए। उन्होंने याचिकाकर्ता के सीएच फॉर्म 23 और ग्राम मानचित्र को, जो 16.11.2025 के पूरक हलफनामे के साथ संलग्न हैं, प्रस्तुत किया ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि याचिकाकर्ता प्लॉट संख्या 365 के पूरे क्षेत्र पर चक के आवंटन का हकदार है।

6. दूसरी ओर, राज्य एवं ग्राम सभा की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को पहले ही प्लॉट संख्या 365 पर चक आवंटित किया जा चुका है, अतः इस मामले में आगे किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि प्लॉट संख्या 365 का एक हिस्सा बचत प्लॉट है, अतः सड़क किनारे होने के कारण इसे याचिकाकर्ता को आवंटित नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि इस रिट याचिका पर पिछले 33 दिनों से कोई अंतरिम आदेश लागू नहीं है। इसलिए, लगभग 35 वर्ष पहले किए गए चक आवंटन को बदला नहीं जा सकता।

7. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी वकील, प्रतिवादी-गांव सभा के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

8. इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि प्लॉट संख्या 365 याचिकाकर्ता का मूल प्लॉट है और प्लॉट संख्या 365 का कुछ हिस्सा बचत प्लॉट के रूप में आरक्षित था। इस तथ्य पर भी कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता को प्लॉट संख्या 365 पर चक आवंटित किया जा चुका है।

9. इस मामले में निहित विवाद को समझने के लिए, यूपीसीएच अधिनियम की धारा 19 (1) (ई) (एफ) (जी) का अवलोकन प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार है:

"19. समेकन योजना द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें-(1) समेकन योजना को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा, अर्थात्-

.....

(e) प्रत्येक भूमिधारक को, जहां तक संभव हो, उस स्थान पर एक छोटा सा क्षेत्र आवंटित किया जाता है जहां उसकी भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा होता है:

वर्षर्त कि किसी भी कार्यकालधारक को तीन से अधिक चक आवंटित नहीं किए जा सकते, सिवाय समेकन उप निदेशक की लिखित स्वीकृति के:

इसके अलावा, केवल इस कारण से कोई भी समेकन अमान्य नहीं होगा कि किसी काश्तकार को आवंटित चकों की संख्या तीन से अधिक है;

(f) प्रत्येक भूमिधारक को यथासंभव वह भूखंड आवंटित किया जाता है जिस पर उसका निजी सिंचाई स्रोत या कोई अन्य सुधार मौजूद हो, साथ ही एक आस-पास का वह क्षेत्र जो वहां मूल रूप से उसके स्वामित्व वाली भूखंडों के मूल्यांकन के बराबर हो, और

(g) प्रत्येक कार्यकालधारक को, जहाँ तक संभव हो, आयताकार इकाइयों में

आयताकारीकरण की प्रक्रिया के अनुरूप चक आवंटित किए जाते हैं।

10. याचिकाकर्ता के सीएच फॉर्म 23 का अवलोकन भी प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार है:

11. याचिकाकर्ता के उपर्युक्त उद्धृत सीएच प्रपत्र 23 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता को उसके मूल भूखंड संख्या 365 पर चक आवंटित किया गया था और समेकन प्रक्रिया के पुनरीक्षण चरण तक मामूली संशोधन के साथ इसे बरकरार रखा गया था। अतः, भूखंड संख्या 365 पर आवंटन का आगे का दावा, जो कि बचत के रूप में आरक्षित है, स्वीकार नहीं किया जा सकता। लगभग 35 वर्ष पूर्व किए गए चक आवंटन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि याचिकाकर्ता को पहले ही उसके मूल भूखंड पर समायोजित किया जा चुका है, जो यूपीसीएच अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत निहित प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन है।

12. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

13. रिट याचिका तदनुसार बर्खास्त की जाती है।

(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026